यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** के माह 04/2019 से माह 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री अंशुमन अग्रवाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आशीष पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.03.2021 से 26.03.2021 तक श्री राजकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आशीष सिंह तड़ियाल(लेखापरीक्षक) व श्री अनूप कुमार गुप्ता एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.08.2019 से 26.08.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** वन प्रभाग के अन्तर्गत वनों का संरक्षण, संवर्द्न कार्य, वन उपजों से रायल्टी आदि प्राप्त कर राजकीय कोष में जमा किया जाना तथा समस्त प्रकार के वानिकी एवं वन्य जीव से सम्बन्धित कार्य किए जाते है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है।

(₹ लाख में)

| वर्ष | राजस्व लक्ष्य | राजस्व प्राप्ति |
|---|---|---|
| 2017-18 | 176785 | 158499.625 |
| 2018-19 | 227030 | 205055.205 |
| 2019-20 | 244214.318 | 162116.069 |

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| **वर्ष** | **प्रारम्भिक अवशेष** | | **स्थापना** | | **गैरस्थापना** | | **स्थापना** | | **गैरस्थापना** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **स्थापना** | **गैर स्थापना** | **आवंटन** | **व्यय** | **आवंटन** | **व्यय** | **अधिक्य (+)** | **बचत (-)** | **अधिक्य (+)** | **गैर स्थापना** |
| 2017-18 | - | - | 991.8245 | 991.824 | 88.74915 | 88.74915 | - | - | - | - |
| 2018-19 | - | - | 925.0187 | 925.0185 | 91.2844 | 91.2841 | - | - | - | - |
| 2019-20 | - | - | 553.18775 | 553.18775 | 133.95301 | 133.95301 | - | - | - | - |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत विभागो को प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ हजार में)

| **वर्ष** | **स्थापना योजना का नाम** | **केन्द्र पोषित/राज्य पोषित** | **प्रा0 अ0** | **प्राप्त** | **व्यय** | **व्यय अधिक्य (+)** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | इन्टेसीफिकेशन आफ फारेस्ट मैनजमेन्ट | केन्द्र पोषित | 0 | 7.180 | 7.180 | 0 | 0 |
| | एलिफेट प्रोजेक्ट | केन्द्र पोषित | 0 | 14.650 | 14.650 | 0 | 0 |
| | प्रोजेक्ट टाईगर | केन्द्र पोषित | 0 | 39.750 | 39.750 | 0 | 0 |

**(iii) इकाई को बजट आवंटन** गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

**(IV) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

**प्रमुख सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- अपर प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी- उप निदेशक- सहायक वन संरक्षक- वन क्षेत्र अधिकारी- उप वन क्षेत्र अधिकारी**

**(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 06/2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2020 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

**योजना का चयन --**

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## राजस्व की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)
## भाग-II (अ)
## शून्य

## गम्भीर अनियमितताएं
## भाग-II (ब)

**01** लक्ष्य के सापेक्ष खनन न किया जाना एवं वन निगम द्वारा राजस्व कम जमा कराया जाना

**02** वन निगम द्वारा आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों की रॉयल्टी प्राप्त न किया जाना ₹ 253.76 लाख।

**03** लीज रेंट की धनराशि का जमा न कराया जाना ₹ 58.63 लाख

**04** राजस्व बकाया ₹ 211.50 लाख की वसूली न होना।

**05** विकास कार्यो हेतु किए गए पातन के वृक्षो की रायल्टी ₹ 19242 अदा न किया जाना

**06:** अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देय जमानत धनराशि जमा न कराया जाना ₹2,03,520/-

## व्यय की लेखा-परीक्षा
## (अति गम्भीर अनियमितताएं)
## भाग-II (अ)
## शून्य

## व्यय की लेखा-परीक्षा
## गम्भीर अनियमितताएं
## भाग-II (ब)

**01.** रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण ₹ 41.28 लाख का निष्फल व्यय।

**02.** ₹ 2.46 लाख धनराशि का अधिक भुगतान एवं ई पी एफ एवं ई एस आई का भुगतान न किया जाना।

**(राजस्व से संबन्धित)**
**भाग 2(ब)**

**प्रस्तर- 01 लक्ष्य के सापेक्ष खनन न किया जाना एवं वन निगम द्वारा राजस्व कम जमा कराया जाना ।**

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल) के अभिलेखो की जांच मे पाया गया की खनन सत्र 2018-19 (अक्तूबर 2018 से मई 2019 तक) मे कोसी नदी एवं दाबका नदी से उपखनिज का खनन लक्ष्य के सापेक्ष नहीं किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

**खनन सत्र 2018-19 (अक्तूबर 2018 से मई 2019 तक)**

| **नदी** | **खनन का लक्ष्य (घन मीटर मे)** | **वास्तविक खनन (घन मीटर में )** | **कम उत्खनित उपखनिज (घन मीटर मे) ( 2-3 )** | **रायल्टी लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त होने वाला राजस्व (`176.00 प्रति घन मीटर के अनुसार) (2 x 176.00) ( ` में )** | **रायल्टी वास्तविक राजस्व की प्राप्ति (`176.00 प्रति घन मीटर के अनुसार) (3 x 176.00) ( ` में )** | **रायल्टी कम राजस्व प्राप्ति ( ` में ) (5 - 6)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कोसी नदी | 627742 | 474079.01 | 153662.99 | 110482592 | 83437905.76 | 27044686.3 |
| दाबका नदी | 51034 | 50374.87 | 659.13 | 8981984 | 8865977.12 | 116006.88 |
| **योग** | | | | | | **27160693.18** |

उपरोक्त विवरण के अनुसार `271.61 लाख की कम रायल्टी प्राप्त हुई। उक्त के अतिरिक्त स्टांप शुल्क (रायल्टी का 2 %), रिवर ट्रेनिंग (रायल्टी का 15 %), विकास शुल्क (रायल्टी का 10 %) क्षतिपूर्ति शुल्क (रायल्टी का 15 %) आदि राजस्व की भी वसूली नहीं हो सकी। कोसी एवं दाबका नदी से लक्ष्य के अनुरूप खनन नहीं किए जाने से ₹ 16975433.20 ( 154322.12 घन मीटर x ₹ 110 प्रति घन मीटर) के अभिवहन शुल्क भी प्राप्त नहीं हो सका ।

उपरोक्त के अतिरिक्त खनन सत्र 2018-19 मे सुरक्षा एवं सीमांकन मद मे ₹ 2,52,68,188 की धनराशि वन निगम द्वारा प्रभाग को उपलब्ध कराये जाने के संबंध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। खनन सत्र 2018-19 के सापेक्ष लाभांश की धनराशि ₹ 92,30,388 के सापेक्ष वन निगम द्वारा प्रभाग को 50 प्रतिशत धनराशि ही ₹46,15,194 ही उपलब्ध कराया गया थी। इस प्रकार ₹ 2,98,83,382 की धनराशि वन निगम द्वारा वन प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराया गयी थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि खनन सत्र के विलंब से प्रारम्भ होने के कारण लक्ष्य के अनुसार खनन कार्य नहीं किया जा सका। अवशेष धनराशि जमा कराये जाने हेतु वन निगम को पत्राचार कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

**भाग- दो ब**

**प्रस्तर : 02 वन निगम द्वारा आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों की रॉयल्टी प्राप्त न किया जाना ₹ 253.76 लाख।**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रदेश में वनों के वृक्षों के पातन एवं प्रकाष्ठ के विक्रय हेतु एकमात्र अधिकृत प्राधिकारी है। अतः, इससे अपेक्षित है कि यह विभाग के द्वारा चिह्नित प्रत्येक लॉट का पातन करे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2018-19 में छ्पान का कार्य करके विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में ही पातन के कार्य हेतु लाटों का आवंटन वन निगम को कर दिया गया था परंतु वर्ष 2019-20 में पातन कार्य हेतु आवंटित की गयी लाटों में से प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखंड वन विकास निगम, पश्चिमी कालाढूंगी द्वारा 09 लाटों तथा प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उत्तराखंड वन विकास निगम रामनगर द्वारा 22 लाटों जहा पातन कार्य योजना के अनुसार अनुमन्य था में पातन का कार्य नहीं किया गया था। वन निगम द्वारा लाटों का पातन न किए जाने के कारण वन विभाग को अनुमानित 1464.816 घन मीटर प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाली अनुमानित रॉयल्टी ₹ 253.76 लाख प्राप्त नहीं हो पायी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वन निगम द्वारा वर्षा के कारण लाटों का पातन नहीं किया गया है तथा वन निगम को पुनः वर्ष 2019-20 में वापस की गयी लाटों का आवंटन किया गया है तथा वर्तमान में उक्त लाटों में पातन का कार्य गतिमान है।

अतः वन निगम द्वारा समयानुसार आवंटित लाटों का पातन न किए जाने के कारण वृक्षों से वन विभाग को प्राप्त होने वाली रॉयल्टी ₹ 253.76 लाख अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग 2 (ब)**

**प्रस्तर- 03 लीज रेंट की धनराशि का जमा न कराया जाना ₹ 58.63 लाख।**

वन एवं पर्यावरण विभाग के शासनादेश संख्या 156/7-1-2005-500(826)/2002 दिनांक 09.09.2005 वन भूमि पर दी गयी लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेंट का निर्धारण के बिन्दु संख्या 3.2.6 के अनुसार शासनादेश सख्या -6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई 1979 मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य बाजार दर से भूमि का मूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लिया जाएगा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्रभाग के पत्रांक 4526/12-1 दिनांक 22/06/2019 के द्वारा जनपद नैनीताल मे तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र मे उत्पादित होने वाले अपशिष्ट के भंडारण, प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु 0.9555 हे0 वन भूमि लीज पर नगर पालिका परिषद, रामनगर को 30 वर्षो पर दिये जाने के संबंध मे दी गयी विधिवत स्वीकृति मे लगाई गयी शर्तो के अनुसार वन भूमि का वर्तमान मूल्य जिलाधिकारी नैनीताल के सर्किल रेट के अनुसार वन भूमि का प्रीमियम एवं 30 वर्षो का लीज रेंट जमा कराया जाना था। सर्किल रेट जिलाधिकारी महोदय/कलक्टर नैनीताल के पत्रांक 1536/5-स्टांप/मूल्याकन-2018-19 (सशोधित दर सूची) दिनांक 14 फरवरी 2018 के अनुसार ₹75,00,000 प्रति हेक्टेयर के आधार पर 0.9555 हे0 का कुल मूल्य ₹ 71,66,250 है। जिसका प्रीमियम ₹ 21,71,591 एवं लीज रेंट प्रीमियम का 1 प्रतिशत की दर से ₹ 30 वर्षो का वार्षिक लीज रेन्ट प्रीमियम ₹6,51,477 कुल ₹ 28,23,067.90 जमा कराये जाने के बाद लीज पर दी जाने वाली भूमि का पट्टा विलेख निष्पादित करा कर शासन को प्रेषित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके अनुसार लीज रेंट जमा कर भूमि का पट्टा विलेख निष्पादित करा दिया गया था। प्रभाग के द्वारा प्रीमियम का 1 प्रतिशत की दर से लीज रेंट लिए जाने हेतु गणना की गयी है जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से लीज रेंट लिया जाना था। इस प्रकार ₹ 65,14,557 (₹ 21,71,519 का 10 प्रतिशत x 30 वर्ष) लिया जाना चाहिए। प्रभाग द्वारा ₹58,63,080 (₹ 65,14,557 – ₹ 651477) कम लीज रेंट की गणना की गयी थी। नगर पालिका परिषद द्वारा दिनांक 23.10.2019 को लीज उपनिबंधक कार्यालय मे पंजीकृत करा दिया गया। जिसके संबंध मे ₹ 11,300 Stamp Duty एवं ₹ 11,300 Registration Fees जमा कराया गया है। Indian Stamp Act 1899 की अनुसूची-1 के अनुसार 30 वर्ष की लीज के लिए किराए का 6 गुना एवं प्रीमियम की धनराशि के अनुसार stamp duty एवं registration fees 2 प्रतिशत की दर से देय था।

उक्त को इंगित किए जाने प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद से पत्राचार कर वसूली कर अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

## भाग- दो ब

**प्रस्तर: 04 राजस्व बकाया ₹ 211.50 लाख की वसूली न होना।**

Paragraph 154 (12) of Uttarakhand Budget Manual provides that any large claim against another Government, local body or other outside party allowed to remain outstanding for an unduly long time constitutes financial irregularity. Hence, the Department should recover all its dues in a timely manner.

प्रभाग की राजस्व बकाया के वसूली प्रगति विवरण मार्च 2020 की जांच में पाया गया कि प्रभाग का उत्तराखंड वन विकास निगम पर ₹ 824311 बकाया है जो वर्ष 2008-09 एवं इसके पूर्व के वर्षो का है तथा इसी प्रकार उत्तर प्रदेश वन निगम पर ₹ 20325733 बकाया है जो वर्ष 2002-03 से पूर्व के वर्षो का है बकाया की वसूली के विषय में प्रभाग द्वारा कोई भी प्रयास किया गया नहीं पाया गया और न ही इस बकाया राजस्व के **write off** के विषय में ही कोई कार्यवाही की हुई पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे है तथा वसूल न होने पर **write off** किए जाने हेतु कार्यवाही की जाएगी।

अतः इतने पूर्व का बकाया वर्तमान तक वसूल न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग- दो ब

## प्रस्तर: 05 विकास कार्यो हेतु किए गए पातन के वृक्षो की रायल्टी ₹ 19242 अदा न किया जाना ।

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकृत (नवम्बर 2012) 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वनों में कार्य करने हेतु कटान चिरान की शर्तों' के बिन्दु संख्या 31 के अनुसार लॉट के मूल्य का एक तिहाई भाग 1 मार्च को, दूसरा तिहाई भाग 1 जून को एवं तीसरा तिहाई भाग 1 सितंबर को वन निगम द्वारा जमा किया जाएगा।तथापि, प्रबंध निदेशक- उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने अपने स्थायी आदेश दिनांक 14 सितंबर 2016 के द्वारा निर्णय लेते हुए निर्देश जारी किया कि विकास कार्यों से संबन्धित वृक्षों की रॉयल्टी अब निगम द्वारा भुगतान नहीं की जाएगी। उक्त वृक्षों की रॉयल्टी वृक्षों से प्राप्त विक्रय मूल्य में 20 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि कार्यदायी/ आवटी संस्था भुगतान किए जाने की बात कही गयी। उक्त निर्णय विभाग द्वारा जारी उपरोक्त शर्तों के प्रतिकूल था ।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों/ मार्ग निर्माण से संबन्धित आवंटित लॉट संख्या 78 पर वन निगम द्वारा कार्य किया गया था। उक्त लॉट में से कुल 4.480 घन मीटर प्रकाष्ठ की प्राप्ति दिखाई गयी है तथापि उक्त प्रकाष्ठ की रॉयल्टी निगम द्वारा विभाग को मार्च, जून एवं सितंबर की नियत तिथियों को भुगतान नहीं किया गया। इस कारण से वर्ष 2019-20 की रॉयल्टी दरों पर उक्त 4.480 घन मीटर प्रकाष्ठ की रॉयल्टी ₹ 4295 के दर से ₹19242 निगम के पास अवरोधित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि वन निगम द्वारा रॉयल्टी अदा नहीं की जा रही है जिसे वसूल किए जाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

अतः वन निगम द्वारा विकास कार्यो हेतु किए गए पातन के वृक्षो की रायल्टी ₹ 19242 अदा न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>भाग 2 (ब)</u>**

**प्रस्तर 06: अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा देय जमानत धनराशि जमा न कराया जाना ₹2,03,520/-**

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनीताल के स्थायी आदेश संख्या 2/25-14 दिनांक 02-11-98 के अनुसार वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रतिभूति राशि का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है :

| क्र. सं. | पदनाम | निर्धारित प्रतिभूति की राशि (₹ मे) |
|---|---|---|
| 1 | वन राज़िक़ तथा उप वन राज़िक़(रेंज प्रभार मे) | 25000 |
| 2 | उप वन राज़िक़ | 20000 |
| 3 | वन दरोगा | 10000 |
| 4 | वन रक्षक | 5000 |
| 5 | कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान लिपिक | 3000 |
| 6 | वरिष्ठ सहायक | 2000 |
| 7 | आशुलिपिक | 5000 |

कार्यालय के 04/2019 से 03/2020 तक के जमानत जमा के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि प्रभाग मे कार्यरत 46 अधिकारियों/कर्मचारियों (सूची संलग्न) द्वारा जमा की जाने वाली जमानत धनराशि ₹2,03,520 अवशेष है ।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया कि अवशेष जमानत धनराशि जमा करा ली जाएगी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

**<u>कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।</u>**

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम | जमा की जाने वाली जमानत धनराशि (₹ मे) | जमा जमानत धनराशि (₹ मे) | शेष जमा करने योग्य जमानत धनराशि (₹ मे) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ब्रजमोहन सिंह रावत | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 2. | ब्रदीदत्त भटट | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 3. | तारा चौबे | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 4. | बंसन्त बल्लभ पंत | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 5. | ओम प्रकाश | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 6. | दयाल सिंह | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 7. | राजेन्द्र सिंह रावत | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 8. | गणेश चन्द्र तिवाडी | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 9. | रविन्द्र मेहरा | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 10. | कैलाश छिम्मवाल | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 11. | मोहन चन्द्र पाण्डे | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 12. | विरेन्द्र सिह रावत | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 13. | मुकेश चन्द्र | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 14. | मुकेश चन्द्र | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 15. | मोहन सिंह मेहता | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 16. | श्रीमती मुन्नी पाण्डे | वन दरोगा | 10000 | 2000 | 8000 |
| 17. | शिव नाथ सिह | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 18. | मुंशीराम | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 19. | ठाकुर दत्त ध्यानी | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 20. | राम सजीवन | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 21. | शैलैन्द्र चौहान | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 22. | सुरेश कुमार रवि | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | पूष्पेन्द्र कुमार चौहान | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 24. | खिलाडी राम | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 25. | मुंशी राम | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 26. | शिवनाथ सिंह | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 27. | राजेश कुमार | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 28. | चन्द दत्त पाण्डै | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 29. | दिनेश छिम्वाल | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 30. | परविंदर | वन आरक्षी | 5000 | 3000 | 2000 |
| 31. | राजेन्द्र सिह रावत | वन दरोगा | 10000 | 7500 | 2500 |
| 32. | रमेश चन्द्र आर्य | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 33. | देवेन्द्र कुमार मढपाल | वन दरोगा | 10000 | 4980 | 5020 |
| 34. | राधेश्याम | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 35. | दर्शन अधिकारी | प्रधान सहायक | 2000 | 1000 | 1000 |
| 36. | राम सिंह बौरा | प्रधान सहायक | 2000 | 1000 | 1000 |
| 37. | सुन्दर सिह | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 38. | सुखवीर सिंह | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 39. | राधेश्याम | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 40. | मोहन चन्द्र आगरकोटी | वैयक्तिक अधिकारी | 5000 | 0 | 5000 |
| 41. | जगजीत सिंह | वन आरक्षी | 5000 | 2000 | 3000 |
| 42. | हरीश चन्द्र पाण्डे | वन दरोगा | 10000 | 5000 | 5000 |
| 43. | वीरपाल सिंह | वन आरक्षी | 5000 | 2000 | 3000 |
| 44. | राम सिंह बौरा | प्रधान सहायक | 2000 | 1000 | 1000 |
| 45. | जीवन सिंह | प्रशासनिक अधिकारी | 2000 | 1000 | 1000 |
| 46. | सतेन्द्र सिंह | प्रधान सहायक | 2000 | 1000 | 1000 |
| | | | | **Total** | ₹203520/- |

**(व्यय से संबन्धित)**

**<u>भाग-2(ब)</u>**

**प्रस्तर :01 रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण ₹ 41.28 लाख का निष्फल व्यय।**

तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 122100 पौधे रोपित किए गये थे। शासनादेश संख्या 98/14–प0भ0वि0/94 दिनॉक 07 जनवरी 1994 में वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित करने के लिए जलवायु की दृष्टि से न्यूनतम मानक तय किए गये हैं, जिसके अनुसार समस्त योजनाओं में रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता 60 **प्रतिशत** होनी चाहिए थी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग**,** रामनगर के वृक्षारोपण से सम्बन्धित अनुश्रवण, मूल्यांकन के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा बहुद्देशीय वृक्षारोपण कैम्पा तथा गोला कार्पस फंड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में बन्नखेड़ा, उत्तरी जसपुर, रामनगर तथा बैल पड़ाव वन श्रेत्रों में **किये गये** वृक्षारोपण का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में उक्त वन क्षेत्रों में वर्ष 2016-17 में रोपित पौधों की जीवितता प्रतिशत में शासन द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में काफी कमी पाई गयी। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में वर्ष 2016-17 में 11 वन **क्षेत्रों** में 152.50 है0 भूमि में कुल रोपित 122100 पौधों के सापेक्ष मात्र 58897 पौधे ही मौके पर जीवित पाए गए, जिनकी सफलता प्रतिशत वृक्षारोपण हेतु निर्धारित मानक 60 प्रतिशत की तुलना में कम था। अवशेष रोपित पौधों की वास्तविकता के सम्बन्ध में मूल्यांकन में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि रोपित पौधे मौके पर सूखे/मृत पाए गये कि नहीं। मूल्यांकन किए गये वन श्रेत्रों में रोपित एवं जीवित पौधों का विवरण निम्नवत् हैः–

| **क्रम संख्या** | **रेंज का नाम** | **वृक्षारोपण का नाम** | **योजना का नाम** | **क्षेत्रफल(हैक्टेयर में)** | **प्रति हैक्टेयर रोपित पौध** | **कुल रोपित पौध** | **मौके पर जीवित पौध** | **सफलता प्रतिशत/ मानक प्रतिशत** | **मानक से कम जीवित पौध** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बन्नाखेड़ा | बरहनी 43 अ | बहुद्देशीय वृक्षारोपण | 24.80 | 500 | 12400 | 1360 | 10.97% /60% | 6080 |
| 2 | उत्तरी जसपुर | सीपका जसपुर क°स°21 बी | कैम्पा | 13.50 | 2000 | 27000 | 3099 | 11.48% / 60% | 13101 |
| 3 | रामनगर | गुलज़ार पुर प्लाट स.16 | कैम्पा | 6.00 | 1100 | 6600 | 1221 | 18.50% / 60% | 2739 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | बन्नाखेड़ा | बैल पोखरा 1 अ | बहुद्देशीय वृक्षारोपण | 10.30 | 500 | 5150 | 1011 | 19.63% / 60% | 2079 |
| 5 | बैल पड़ाव | गैबुआ प्लाट स°29 | एफ°डी°भुगतान गोला कार्पस फ़ंड | 10.00 | 500 | 5000 | 1565 | 31.30% / 60% | 1435 |
| | | | | | | | | **योग** | **25434** |

इस प्रकार, उपरोक्त वर्षों में रोपित पौधों में मानक के अनुसार 25434 पौधे जीवित न होने के कारण ₹ 81143 प्रति हैक्टेयर 500 पौध की दर से उन पर किया गया अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण से ₹ 41.28 लाख का व्यय निष्फल हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि क्षेत्रों में **जानवरो/पशुओं द्वारा क्षति के** कारण सफलता प्रतिशत में कमी आई है।

अतः रोपित पौधों की जीवित प्रतिशतता में कमी के कारण **₹** 41.28 लाख का निष्फल व्यय का प्रकरण **उच्चाधिकारियों के** संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर- 02 ₹ 2.46 लाख धनराशि का अधिक भुगतान एवं ई पी एफ एवं ई एस आई का भुगतान न किया जाना।**

तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से अकुशल, अर्द्कुशल तथा कुशल श्रेणी के मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु फर्म मै0 उज्जवल कॉन्ट्रेक्ट को-ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, देहरादून से वर्ष 2019-20 में 0.01 प्रतिशत सेवा शुल्क के आधार पर सितम्बर 2019 से अनुबंध किया गया है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर (नैनीताल) के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि प्रभाग में सितंबर 2019 के पूर्व **Global Manpower Solutions Nanital** द्वारा से मानव संसाधन उपलब्ध कराया गया है जिसके संबंध में कोई भी निविदा नहीं की गयी थी एवं एजेंसी द्वारा 7 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क लिया जा रहा था। जबकि निविदा के आधार पर सितम्बर 2019 से सेवा शुल्क 0.01 प्रतिशत ही एजेंसी द्वारा कोट किया गया है जिसे प्रभाग द्वारा स्वीकार करते हुये अनुबंध किया गया था। इस प्रकार माह अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक ₹72789 (₹72898 - ₹104) सेवा शुल्क के रूप अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2019 से न्यूनतम मजदूरी लिपिक की ₹ 9772, वाहन चालक की ₹ 9518 एवं अन्य समूह घ की ₹ 8213 ही निर्धारित की गयी थी। प्रभाग द्वारा 102 मानव कार्य दिवस के लिए ₹ 173400 (102 x 1700) का अधिक भुगतान किया गया है। जबकि कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक के पत्र संख्या 579 दिनांक 18.10.2019 के अनुसार ₹ 1700 प्रति माह की दर से अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली की जानी चाहिए थी। जो कि प्रभाग द्वारा नहीं की गयी। इसके साथ ही अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक 13 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि एवं 3.25 प्रतिशत कर्मचारी बीमा की धनराशि की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त को इंगित किये जाने पर ₹ 1700 अधिक भुगतान किये जाने क सम्बन्ध में तथा ई.पी.एफ एवं **ESI** का भुगतान प्रभाग द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में प्रभाग द्वारा जांच करके अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया गया है।

## भाग-III

**राजस्व से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN | नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| 22/2016-17 | 01 | 01,02,03 | - | - |
| 11/2018-19 | - | 01,02,03,04 | - | - |
| 55/2019-20 | 01 | 01,02,03 | - | |

**व्यय से संबंधित** विगत निरीक्षण प्रतिवदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN | नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| 41/2013-14 | - | 01 | - | - |
| 64/2015-16 | - | 02 | - | - |
| 22/2016-17 | - | 01 | 01,02 | - |
| 55/2019-20 | - | 01,02,03,04,05 | - | - |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि

**लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री हिमांशु बागरी | प्रभागीय वनाधिकारी |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

**वरि0 लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सेमल | 0.28 | 2156 | 604 |
| | गुटेल | 0.28 | 750 | 128 |
| **57** | सागौन | 0.579 | 41205 | 23858 |
| | गुटेल | 2.835 | 750 | 2126 |
| | शीशम | 3.186 | 37432 | 119258 |
| **59** | सागौन | 0.099 | 41205 | 1079 |
| | शीशम | 0.53 | 37432 | 19839 |
| **60** | सागौन | 0.521 | 41205 | 21468 |
| | कोटक | 0.552 | 4265 | 2371 |
| | शीशम | 0.133 | 37432 | 4978 |
| **67** | सागौन | 2.845 | 41205 | 117228 |
| | शीशम | 1.198 | 37432 | 44844 |
| | खैर | 43.9 | 28763 | 1262696 |
| **73** | सागौन | 3.588 | 41205 | 147844 |
| **74** | सागौन | 7.194 | 41205 | 296429 |
| **76** | सागौन | 8.823 | 41205 | 363552 |
| | अमलतास | 5.627 | 4295 | 24168 |
| | धौडी | 0.835 | 4295 | 3586 |
| **81** | सागौन | 41.583 | 41205 | 1713428 |
| | खैर | 1.19 | 28763 | 34228 |
| | धौडी | 0.193 | 4295 | 829 |
| **82** | सागौन | 7.226 | 41205 | 297747 |
| **83** | सागौन | 38.114 | 41205 | 1570487 |
| | हल्दू | 1.453 | 20435 | 29692 |
| **84** | कंजू | 0.610 | 2163 | 1358 |
| | हल्दू | 1.453 | 20435 | 29692 |
| **85** | सागौन | 11.796 | 41205 | 514686 |
| **86** | सागौन | 1.719 | 41205 | 70831 |
| **87** | सागौन | 4.12 | 41205 | 169765 |
| **88** | सागौन | 0.616 | 41205 | 25382 |
| **89** | सागौन | 0.27 | 41205 | 11125 |
| **53** | यूकेलिप्टस | 372.685 | 2138 | 796801 |
| **योग** | | **1464.816** | **-** | **2,53,76,058** |